न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/6354/2002/टोंक

1 छोगा पुत्र रूघनाथ
2 छीतर पुत्र चौथू
3 ग्यारसी पुत्री चौथू
4 मडी पुत्री चौथू सभी जाति अहीरान निवासी बोरखण्डी कलां तहसील पीपलू जिला टोंक

अपीलार्थीगण

बनाम

1 श्रीनारायण पुत्र मोरू
2 काना पत्रु मोरू
3 मूल्या पुत्र मोरू
4 बजरंगा पुत्र ग्यारसा
5 बदाम पत्नी गयारसा सभी जाति अहीरान निवासी बोरखण्डी कलां
6 प्रेम पुत्र ग्यारसा नाबालिग जरिये संरक्षक माताबदाम पत्नी ग्यारसा जाति अहीर निवासी बोरखण्डी कलां तहसील पीपलू

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः श्री आर.के.गुप्ता वकील अपीलार्थीगण
श्री शंकरलाल चौधरी वकील प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3
श्री डूंगरसिंह राठौड वकील प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6

निर्णय

दिनांकः.18.10.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 71/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने एक बाबत इस्तकरार हक व इन्द्राज दुरूस्ती का सहायक कलक्टर (मु0) टोंक के न्यायालय में प्रतिवादीगण वर्तमान अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोरखण्डीकलां स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1371 रकबा 13 बिस्वा वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जबकि उक्त आराजी पर कब्जा काश्त वादीगण का चला आ रहा है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 851 रकबा 1 बीघा 19 बिसवा था तथा इसमें से 1 बीघा 19 बिस्वा सडक में निकल जाने से शेष रकबा 13 बिस्वा वह वादीगण के हिस्से का है। सडक में गई भूमि का मुआवजा प्रतिवादीगण ने प्राप्त किया। सैयद नसीरूद्वीन हैदर वाली जमाबन्दी में वादीगण के पिता मोरू 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम कर निर्णय दिनांक 31.3.2001 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22.10. 2002 से अपील स्वीकार कर वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादीगण द्वारा उनका वाद साबित नहीं कराया गया है। विवादित आराजीयात का बंटवारा किया जाना साबित नहीं कराया गया है। सडक में गई भूमि का मुआवजा प्राप्त किया जाना भी साबित नहीं कराया गया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा भी प्रतिवादी वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है जिससे वर्तमान अपीलार्थीगण का हक हिस्सा समाप्त नहीं किया जा सकता। राजीनामा कानूनन वैध नहीं है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात पक्षकारान के पिता के समय से सन् 1942 में शामलाती खातेदारी में दर्ज होना साबित कराया गया है। उक्त आराजी में से सडक में गई भूमि का मुआवजा प्रतिवादीगण वर्तमान अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 ने प्राप्त किया है जो मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया गया है। विवादित आराजी का बंटवारा मौखिक किया गया जिसके आधार पर विवादित 13 बिस्वा रकबा वादी प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 के कब्जे व हिस्से में आया जिस पर वे काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

सम्वत 2032 की गिरदावरी में वादीगण का कब्जा काश्त अंकित है। राजीनामा विधि अनुसार किया गया है जिससे प्रतिवादीगण बाध्य है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। विवादित आराजीयात का बंटवारा किया जाना साबित नहीं है। तथा एक वर्ष की गिरदावरी में काश्त दर्ज होने से यह नहीं माना जा सकता कि 35 वर्ष से वादीगण का ही कब्जा काश्त है। एडवर्स पजेशन से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।

6. हमने दोनों पक्षोके विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2048 से 2051 प्रदर्श 4 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1371 अन्य खसरा नम्बरों के साथग्यारसा, छोगा पिता रूघनाथ, छीतर पुत्र चौथू ग्यारसा मडी पुत्रिया चौथू के खतोदारी में दर्ज है। प्रदर्श 1 उर्दू में है जिसकी नकल प्रदर्श 1ए खसरा बन्दोबस्त सन् 1942 में झीता व रूघनाथ व छोटया व धन्ना पिसरान सरवन हिस्सा बराबर हिस्सा चहारूम व लादू बिशना हिस्सा चहारूम व मोरू पिसर मुतबन्ना गणेश हिस्सा चहारूम व नारायण वल्द किशना हिस्सा आठवा व श्रीनारायण वल्द छगना हिस्सा आठवां अंकित है। मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 851 से नवीन खसरा नम्बर 1371 बने हैं। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2032 में 13 बिस्वा पर मौरू की काश्त अंकित है। प्रदर्श 1ए जो कि सन् 1942 की है में वादीगण के पिता का नाम अवश्य दर्ज है परन्तु उसके बाद का कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया गया है।

8. विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 अर्थात वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 ने राजीनामा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार उक्त राजीनामे को भी बनाया है। परन्तु यह राजीनामा वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है जिससे वर्तमान अपीलार्थीगण के हक व अधिकार इस राजीनामे के आधार पर हस्तान्तरित नहीं किये जा सकते। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सम्पूर्ण 13 बिस्वा रकबा का वादीगण को खातेदार घोषित करने में भूल की है। राजीनामे के आधार पर राजीनामा करने वाले प्रतिवादीगण के हिस्से तक ही खातेदार घोषित किया जा सकता है। किन्तु राजीनामे के दिवस उनवान में प्रेम नाबालिग अंकित है। इस हेतु अपेक्षित शपथ पत्र व प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने से ऐसे राजीनामे के आधार पर नाबालिग के अधिकार समाप्त नहीं होते है। परिणामतः प्रथम अपील न्यायालय

का निर्णय स्थिर रखने योग्य नहीं है। यद्यपि दावा में पूर्व में अपने पूर्वज के नाम दर्ज होने तथा बाहमी बंटवारे से प्राप्त होने का उल्लेख किया है तथापि नाबालिग के विरूद्ध निर्णय से पूर्व की विधिक अपेक्षाएं पूरी नहीं करने से निर्णय स्थिर रखने योग्य नहीं है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक का निर्णय दिनांक 22.10.2002 निरस्त किया जाता है एवं सहायक कलक्टर (मु0) टोंक का निर्णय दिनांक 31.3.2001 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य